संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश

–0–

क्रमांक / डीटीए / सीएसएफएमएस / 413 /   /   भोपाल दिनांक 25 / 03 / 2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :– समस्त हितग्राहियों को आधार आधारित भुगतान।
संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / डीटीए / सी–एसएफएमएस / 311,भोपाल,दिनांक 10.1.2017!

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित भुगतानों के लिये आधार आधारित प्रणाली को अपनाने हेतु निरंतर लेख किया जा रहा है। इसे देखते हुये सीएसएफएमएस में बैंक खाते के साथ–साथ आधार नंबर जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। 95 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आधार नंबर की प्रविष्टि आपके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रविष्ट किये जा चुके हैं, यह सराहनीय है।

2– वर्तमान में कोषालयों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान संबंधित हितग्राही के बैंक खाते के आधार पर किये जा रहे है। वर्तमान परिस्थिति में बैंक खाते के साथ–साथ आधार नंबर पर आधारित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि खाता बदलने या बंद होने की दशा में संबंधित हितग्राही को भुगतान सही खाते में किया जा सके।

3– अतः अनुरोध है कि अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को हितग्राहियों के आधार नंबर सत्यापित किये जाकर डेटावेस में इन्ट्री कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।

आयुक्त
कोष एवं लेखा

क्रमांक / डीटीए / सीएसएफएमएस / 414 / / भोपाल दिनांक 25 / 05 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य सचिव, वित्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

2– समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।

3– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

4– समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश को प्रेषित कर लेख है कि अपने अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

आयुक्त
कोष एवं लेखा